



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)
(सं0 पटना 19) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
3 जनवरी 2019

एस० ओ० 08, दिनांक 3 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 124, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- 49, दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-38)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

3 जनवरी 2019

एस0 ओ0 08 दिनांक 3 जनवरी 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-4)-38)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 3rd January 2019

S.O. 08 Date 3rd January 2019— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Commercial Taxes Department notification No S.O.124 dated the 23rd January, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 49, dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnish the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.”.

2. This notification shall come into force with effect from 31st December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-38)]

By the order of Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 19-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>